

स्पाट काउंसलिंग से भरी जाएंगी लॉ की रिक्त सीटें

देहरादून। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) ने विधि पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरने की मंजूरी दे दी है। यूटीयू ने संबद्ध संस्थानों को पत्र भेजकर 20 नवम्बर को स्पाट काउंसलिंग से सीटों भरने का निर्देश दिया है। यूटीयू से सम्बद्ध कई विधि संस्थानों में सत्र 2022-23 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, लेकिन दो चरणों की काउंसलिंग के बाद भी सीटें नहीं भरी। इसके बाद संस्था स्तर पर स्पाट काउंसलिंग कर सीटों को भरने का प्रयास किया। बावजूद इसके कई संस्थानों में सीटें खाली रह गईं। यूटीयू के कुलसचिव आरपी गुप्ता ने सभी संस्थानों को पत्र भेजकर 20 नवम्बर को स्पाट काउंसलिंग के जरिये रिक्त सीटों को भरने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एडमिशन लेने वाले छात्रों का ब्यौरा 25 नवम्बर तक विवि को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।